भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 502
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025 (बुधवार)
1 श्रावण, 1947 (शक)
प्रश्न
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं

502. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा वर्तमान में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही पांच योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2026 तक नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए निर्धारित वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत कौन से विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) **पीएम-डिवाइन स्कीम:** उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) की घोषणा एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, जिसमें सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन था। वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए इस स्कीम का परिव्यय 6,600 करोड़ रुपये का है। पीएम-डिवाइन स्कीम के उद्देश्य हैं: (i) पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप, अवसंरचना केंद्रित वित्तपोषण; (ii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता देना; (iii) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका से जुड़े कार्यकलापों को सक्षम बनाना; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करना।
(ii) **उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) - सड़कें:** यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसे 2017-18 के दौरान अनुमोदित किया गया और 15वें वित्त आयोग के अंत तक अर्थात दिनांक 31.03.2026 तक विस्तारित किया गया ताकि उन सड़कों के निर्माण में विशिष्ट अंतराल-वित्तपोषण प्रदान किया जा सके जो सरकार के किसी अन्य विभाग अर्थात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, सीमा सड़क संगठन आदि के अंतर्गत नहीं आती हैं, परंतु (i) दूरस्थ स्थानों तक पहुंच प्रदान करने (ii) बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और (iii) सुरक्षा की दृष्टि से इनकी आवश्यकता है। इस स्कीम के तहत केवल सड़कों/पुलों और सहायक अवसंरचना में भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को ही मंजूरी देने पर विचार किया जाता है।

(iii) **उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) - ओटीआरआई:** यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसे 2017-18 के दौरान अनुमोदित किया गया और 15वें वित्त आयोग अर्थात दिनांक 31.03.2026 तक

विस्तारित किया गया। एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) घटक में इसकी निम्नलिखित पूर्ववर्ती स्कीमों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं (लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई) को शामिल किया गया है-

(क) अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर)
(ख) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)

इस स्कीम के तहत, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट निपटान, औद्योगिक विकास, नागर विमानन, खेल, दूरसंचार आदि के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये के बीच की परियोजनाओं को मंजूरी देने पर विचार किया जाता है।

(iv) **उत्तर-पूर्वी परिषद की स्कीमें:** 15वें वित्त आयोग (2022-23 से 2025-26) के दौरान कार्यान्वयन के लिए दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक इस स्कीम के विस्तार को अनुमोदित किया गया था, जिसमें दायरे/कवरेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिसका व्यापक उद्देश्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र विकास करना था। यह स्कीम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को कवर करती है। इस स्कीम के तहत परियोजनाओं के चयन, मंजूरी और निगरानी की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय/एनईसी द्वारा की जाती है। संबंधित उत्तर-पूर्वी राज्य सरकार/केंद्रीय अभिकरणों की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है। एनईसी की स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कुछ फोकस क्षेत्र बांस, सूअर पालन, क्षेत्रीय पर्यटन, उच्च शिक्षा, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि हैं।

(v) **असम में विशेष पैकेज**

1. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी): दिनांक 10.02.2003 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में कार्यान्वित पैकेज की राशि 750.00 करोड़ रुपये है। 749.65 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। दिनांक 27.01.2020 को हस्ताक्षरित नए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये (तीन वर्षों के लिए 250 करोड़ प्रति वर्ष) की राशि स्वीकृत की गई।

2. **दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (डीएचएटीसी):** दिनांक 08.10.2012 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यान्वित 200 करोड़ रुपये के डीएचएटीसी पैकेज के अंतर्गत 195 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

3. **कार्बी आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (केएएटीसी):** दिनांक 25.11.2011 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में कार्यान्वित किए गए केएएटीसी पैकेज के अंतर्गत 350.00 करोड़ रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था। केएएटीसी पैकेज के लिए 04.09.2021 को हस्ताक्षरित नए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, केएएटीसी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये (5 वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) की राशि में से 167.96 करोड़ रुपये की 02 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

दिनांक 31.03.2026 तक स्वीकृत स्कीमों का कुल बजट परिव्यय निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**स्कीम का नाम**	**बजट परिव्यय (करोड़ रुपये में)**
1	**पीएम-डिवाइन**	6,600
2	**एनईएसआईडीएस (सड़कें)**	2,718
3	**एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई)**	3,796
4	**सोनेक**	1,968
5	**विशेष पैकेज**	1,250
	कुल	**16,332**

*****